

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 24-07-2019) का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	(i) State Government mentioned reference of letter of this office letter Dt. 21/05/19 instead of 24/12/18. (ii) Reply of only 05 points submitted instead of 10 points. (iii) Out of 05 points. Only first three points match to this office EDS Dt. 24/12/18	यह बिन्दु प्रयोक्ता ऐजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है। दिनांक 24.12.18 के समस्त 10 बिन्दुओं का निराकरण इस कार्यालय के पत्रसं0-1409/वनभूमि दिनांक 09.04.19 के द्वारा पूर्व में Form A के पार्ट-1 के Additional information के क्र.सं. 15 पर अपलोड किया गया है। दिनांक 24.12.18 के समस्त 10 बिन्दुओं का निराकरण इस कार्यालय के पत्रसं0-1409/वनभूमि दिनांक 09.04.19 व इसके उपरान्त वन संरक्षक मुनि की रेती के पत्रसं0- 1726/12-1 मुनि की रेती दिनांक 01.05.19 का निराकरण इस कार्यालय के पत्रसं0- 1814/वनभूमि दिनांक 21.05.19 द्वारा पूर्व ही कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था।
2	It has been observed in many cases in the past also that the proposal is not being examined properly in the nodal office and their letters having wrong reference no. and incomplete/wrong reply. State Government is requested to kindly submit the proposal to this office after thorough check.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
3	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार Muck Dumping हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें। अभी चार में से मात्र 02 स्थानों पर गैर वन क्षेत्र में dumping प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही Dumping से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची पृथक से प्रस्तुत करें।	इस प्रस्ताव में लिये गये 04 डम्पिंग जोन में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
12/9/19
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।